



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 अग्रहायण 1942 (श10)

(सं० पटना 911) पटना बुधवार 25 नवम्बर 2020

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

25 नवम्बर 2020

एस० ओ० 185 दिनांक 25 नवम्बर 2020—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस०ओ० 04, दिनांक 02 जनवरी, 2018, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 10, दिनांक 02 जनवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में:-

दूसरे परंतुक के पश्चात निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु यह भी कि उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जो कि जुलाई, 2017 से मार्च, 2019 तक की तिमाहियों से संबंधित प्ररूप जीएसटीआर-4 में नियत तारीख तक विवरणी प्रस्तुत नहीं कर पाये थे, लेकिन उक्त विवरणी को समयावधि सितंबर, 2020 के 22वें दिन से अक्टूबर, 2020 के 31वें दिन तक प्रस्तुत करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के अधीन देय विलंब फीस को दो सौ पचास रुपये से अधिक अधित्यजन किया जाता है, और उन करदाताओं के लिए देय विलंब फीस को पूर्ण रूप से अधित्यजन किया जाता है जिनके लिए कुल देय राज्य कर की राशि शून्य है।”

(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-10) 2123)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

25 नवम्बर 2020

एस० ओ० 185, दिनांक 25 नवम्बर 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-10) 2123)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 25th November 2020

S.O. 185, Dated 25th November 2020— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with section 148 of the said Act, the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 04, dated the 2nd January, 2018, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 10, dated the 2nd January, 2018, namely :—

In the said notification: -

after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided also that late fee payable under section 47 of the said Act, shall stand waived which is in excess of two hundred and fifty rupees and shall stand fully waived where the total amount of state tax payable in the said return is nil, for the registered persons who failed to furnish the return in **FORM GSTR-4** for the quarters from July, 2017 to March, 2019 by the due date but furnishes the said return between the period from 22nd day of September, 2020 to 31st day of October, 2020.”.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-10) 2123)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 911-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>